भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3670
जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025 (20 श्रावण, 1947 (शक)) को दिया गया

"इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधडी का पता लगाना"

3670. श्री विष्णु दयाल राम:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के कई धोखाधड़ी वाले मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो दर्ज किये गए मामलों, अंतर्ग्रस्त राशि और की गई वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आईटीसी लाभों का दावा करने के धोखाधड़ी वाले मामलों को रोकने और उनसे निपटने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): हाँ महोदय। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्रीय कर संरचनाओं द्वारा दर्ज आईटीसी धोखाधड़ी के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	मामलों कि संख्या	पता लगाई गई राशि (₹ करोड़ में)	स्वैच्छिक भुगतान (₹ करोड़ में)
2022-23	7231	24140	2484
2023-24	9190	36374	3413
2024-25	15283	58772	2675

(ग) सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के धोखाधड़ीपूर्ण दावों को रोकने और उनसे निपटने हेतु निम्नलिखित सक्रिय कदम उठाए गए हैं:

i. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) केवल उन्हीं चालानों या डेबिट नोटों पर लिया जा सकता है, जिन्हें आपूर्तिकर्ता ने फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल किया हो, और जिनकी जानकारी पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-2बी में प्रदान की गई हो।

ii. यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

iii. प्रत्येक कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर -1 को फॉर्म जीएसटीआर -3बी दाखिल करने से पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, जीएसटीआर -1 की फाइलिंग को क्रमबद्ध रूप में भरना अनिवार्य किया गया है।

iv. जिन व्यवसाय (कंपनियों) का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उनके लिए सभी बी2बी लेन-देन में ई-इनवॉइस (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

v. जीएसटी पंजीकरण के समय पैन नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। यह व्यवस्था किसी अन्य व्यक्ति के पैन का दुरुपयोग कर पंजीकरण कराने से रोकने के लिए लागू की गई है।

vi. पंजीकरण के आवेदकों के लिए जोखिम के आधार पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है।

vii. जो आवेदक, आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर फोटो खिंचवाना और दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

viii. उच्च जोखिम वाले मामलों में आधार प्रमाणीकरण होने के बावजूद भी वास्तविक सत्यापन किया जाएगा।

ix. पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, वैध बैंक खाते के विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

x. प्रणाली आधारित निगरानी और नियंत्रण उपाय —

(क) यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर वैध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है।

(ख) जो पंजीकृत व्यक्ति समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते, उनके पंजीकरण को सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 21ए के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है।

(ग) नए पंजीकरण के लिए आवेदक के व्यापार स्थल की जियो-टैगिंग अब पोर्टल पर आवश्यक कर दिया गया है।

(घ) नियम 88सी/88डी के अंतर्गत प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से फॉर्म डीआरसी-01बी और डीआरसी-01सी जारी किए जा रहे हैं।

xi. बिना वैध चालान या बिल के आईटीसी की धोखाधड़ी से लाभ उठाना अब एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बना दिया गया है।

xii. लाभार्थी, जो ऐसा लाभ प्राप्त करता है या जिसकी मंशा से आपूर्ति बिना चालान के की जाती है, या बिना आपूर्ति के चालान जारी किया जाता है, या अधिक आईटीसी प्राप्त/वितरित किया जाता है, अब दंड का भागी होगा।

xiii. इनवॉइस प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को जीएसटी पोर्टल पर 2024 के अंत में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त चालानों के प्रभावी प्रबंधन में मदद करना है। यह प्रणाली प्राप्तकर्ताओं को चालानों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या लंबित चिह्नित करने की सुविधा देती है, जब उन्हें आपूर्तिकर्ता द्वारा सहेजा या दाखिल किया गया हो। इसके माध्यम से प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर -1 में दर्ज चालानों का मिलान और सत्यापन करके आईटीसी दावा की प्रक्रिया को सरल और सुदृढ़ बना सकते हैं।

xiv. फर्जी/झूठे पंजीकरण के निराकरण के लिए, फर्जी आईटीसी और फर्जी पंजीकरण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था, जो 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 और 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक राज्य और केंद्र सरकार के जीएसटी प्रशासन के समन्वय में आयोजित किया गया।

****